

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख) अति.कार्य/अलेसे-आ/

दिनांक 11.2.15

कार्यालय आदेश

श्री रामावतार शर्मा, सलेअ-ग्रेड-आ कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु अपने वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला कलक्टर (राजस्व), चूरु में सहा.लेखाधिकारी ग्रेड-आ के रिक्त पद का कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे। इन्हें राजस्थान सेवा नियम के नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभार देय होगा।

विभागीय आदेश क्रमांक 6708-12 दिनांक 13.08.2014 के द्वारा श्री गुगनराम तेतरवाल, सलेअ-ग्रेड-आ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु को अपने कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला कलक्टर, चूरु में सलेअ-ग्रेड-आ के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने के संबंध में जारी आदेश निरस्त किया जाता है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख) अति.कार्य/अलेसे-आ/11159 - 11164

दिनांक 11.2.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला कलक्टर (राजस्व), चूरु।
- 2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरु।
- 3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु।
- 4 श्री रामावतार शर्मा, सलेअ-आ कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु।
- 5 श्री गुगनराम तेतरवाल, सलेअ-आ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरु।
- 6 उपनिदेशक, एसीपी, कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट प्रकाशन हेतु)।
- 7 निजी सहायक, निदेशक महोदय।
- 8 पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।

(डा० नारायण पारीक)
अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-आ]